न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 21 / 2015

प्रविष्टि दिनांक 06.11.2015

शंकर पुत्र श्रवण लाल जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी लाखोलाई तन बालापुरा जाटान ग्राम पंचायत बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

.....आवेदक

बनाम

1. जगदीश पुत्र हुकमा धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम बालापुरा जाटान ग्राम पंचायत बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह, जिला टोक एंव प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010–11 तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970
विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2010

उपस्थिति : (1) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1

निर्णय

दिनांक 15/5/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 को दिनाक 07.12.2010 को आराजी खसरा नम्बर 1763 / 4812 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया है। आवंटन के बाद उक्त आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर 1038 / 1763 बनाये गये हैं। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक आवेदक एवं अभिभाषक प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी जगदीश भूमिहीन काश्तकार नहीं है, बल्कि उसके स्वंय के कब्जे काश्त व खातेदारी में ग्राम बालापुरा जाटान के खाता संख्या 55 में कुल किता 42 कुल रकबा 10.45 हैक्टेयर में से अधिकाश भूमि आवंटी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि है, इसी तरह उक्त आवंटी के पास स्वंय के कब्जे व खातेदारी में ग्राम सीतारामपुरा धाकडान, ग्राम देवपुरा, बावडी, रतवाई, आदि गांवों में 100 बीघा से अधिक भूमि है, जिसमें से अधिकांश भूमि चाही व नहरी भूमि है, जो कि आवंटन की शर्तों के अनुसार दुगुनी मानी जाती है, किन्तु आवंटी ने आवंटन हेतु जो आवेदन भू राजस्व केम्प में प्रस्तुत किया था, उसमें उसने स्वंय के नाम केवल 0.40 हैक्टेयर भूमि स्वंय के कब्जे व खातेदारी में होना लिखा था, इस तरह आवंटी ने भू आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत तथ्य अंकित करते हुए छल व कपटपूर्ण तरीके से यह आवंटन करवाया है। आवंटित भूमि के अडवां आवंटी की कोई भूमि नहीं है, अपितु प्रार्थी आवेदक के परिवार की भूमि है। प्रार्थी आवेदक का आवंटित भूमि पर पिछले लगभग 20 सालों से कब्जा व काश्त चला आ रहा है और आवंटन के पूर्व से लेकर वर्तमान तक आवंटित भूमि आवेदक प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी आवेदक स्वंय भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 के समक्ष उक्त भूमि आवंटित करने का प्रार्थनापत्र पेश किया था, किन्तु विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थी आवेदक को बेदखल किये बिना तथा प्रार्थी आवेदक के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना गलत रूप से नियमों के विपरीत विपक्षी संख्या 1 को यह आवंटन किया है, इस कारण आदेश आवंटन निरस्तनीय है।

आवंटन के बाद विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की है, नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष आवंटित भूमि के आधे हिस्से तथा दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर काश्त करना जरूरी था, जो कि आवंटी ने आज तक नहीं किया है। इस कारण आंवटन आदेश के नियम 6(3) की अवहेलना करने के कारण आवंटन आदेश निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम बालापुरा जाटान में विपक्षी संख्या 1 के हक में उक्त भूमि आवंटित किये जाने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की और न ही आवंटन से पूर्व अनाधिवासित भूमियों की कोई सूची तैयार की।

आवेदक काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो सद्भावी कृषक हैं, जिनका जीवन यापन भी कृषि कार्य पर ही निर्भर है। आवेदक ने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूमि को काबिले काश्त बना कर वर्षों से काबिज चला आ रहा है तथा आवंटन का पात्र व योग्य व्यक्ति भी है, जिस पर विपक्षी संख्या 2 ने कोई गौर नहीं कर विधि विरूद्ध आवंटन किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आवंटन नियमों के अनुसार जिस जगह भूमि स्थित है, उसके पास के भूमिधारक को भूमि का आवंटन किया जाता हैं, नियमानुसार उसी पडोस की जमीन के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है, जिस बाबत् आवेदक ही हकदार था लेकिन उनके हक में उक्त आराजी का आवंटन नहीं कर विपक्षी संख्या 1 के हक में कागजी आवंटन किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन उपरोक्त सभी कारणों से स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1763/4812 रकबा 0.50 है, वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1038/1763 है) का प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 07.12.2010 अपास्त किया जाकर उक्त भूमि का नियमन/आवंटन आवेदक के हक में किये जाने का आदेश प्रदान करे ।

अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.12.2010 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया था। आवंटन के बाद उक्त आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर 1038/1763 बनाये गये हैं। उक्त आवंटन विधिसम्मत है। उक्त आवंटन से पूर्व सभी नियमों की पालना की गई है। पटवारी हलका से रिपोर्ट भी ली गई है। उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं. 1 का ही कब्जा था एवं प्रतिपक्षी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में होने के कारण आवंटन के योग्य था। प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवंटन के पश्चात् भूमि को काश्त कर आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। आवेदक ने उक्त आवंटित भूमि पर अपना कब्जा होने एवं आवंटित भूमि के समीप स्वयं की भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए है। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन मय हर्जाना निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.12.2010 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। आवेदक का कथन हैं कि उक्त भूमि पर आवेदक काबिज होकर काश्त कर रहा था, परन्तु आवेदक ने अपना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

पर प्रतिपक्षी सं. 1 का ही कब्जा था। आवेदक ने आवंटी के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने तथा आवंटित भूमि के समीप स्वयं की भूमि स्थित होने का कथन किया है परन्तु अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया हैं जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा द्वारा दिनांक 07.12.2010 को प्रतिपक्षी सं0–1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 07.12.2010 को प्रतिपक्षी सं0–1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक